भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3731

दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: आधुनिक मछुआरा आवास योजना

3731. श्री दीपक बैजः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आधुनिक मछुआरा आवास योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा कितनी निधि आवंटित की जा रही है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत निर्मित घरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) आवास के लिए उपर्युक्त योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी निधि प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या मंत्रालय ने स्थायी घरों के बिना रहने वाले मछुआरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छत्तीसगढ़ में मछुआरा समुदाय के सभी बेघर लोगों को किस तिथि तक घर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) से (ग) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजना "नीली क्रांति : मात्स्यिकी के एकीकृत विकास एवं प्रबंधन" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका एक घटक "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" है तथा उप-घटक 'मछुआरा आवास' । प्रधान मंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.- जी) के दिशा-निर्देशों के समंजस्य के साथ यह उप-घटक (मछुआरा आवास) कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां सामान्य राज्यों के मछुआरों को रु 1.20 लाख की दर से तथा हिमालयन और उत्तर पूर्वी राज्यों के मछुआरों को रु 1.30 लाख की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । पूर्वकथित घटक के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सामान्य राज्यों में 60 : 40, हिमालयन और उत्तर पूर्वी राज्यों में 90 : 10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 100% के अनुपात में शेयर किया जाता है । विगत पाँच वर्षों के दौरान, 18,920 मछुआरा आवासों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 104.69 करोड़ रु की निधि जारी की गई। निर्मित किए गए मछुआरा आवासों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इस विभाग द्वारा जारी की गई निधि का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(घ) से (ङ) मत्स्यपालन राज्य संबंधी मामला है तथा भारत सरकार प्राप्त किए गए प्रस्तावों एवं बजटीय आवंटन की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। आगे, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आने वाले पाँच वर्षों में राज्य के मछुआरा समुदाय के सभी बेघर लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है ।

******

<u>अनुबंध</u>

आधुनिक मछुआरा आवास योजना के संदर्भ में श्री दीपक बैज, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा पूछे गए लोकसभा के लिए दिनांक 16 जुलाई 2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या †3731 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर का विवरण ।

<u>विगत पाँच वर्षों के दौरान (2014-15 to 2018-19) नीली क्रांति योजना के उप-घटक 'मछुआरा आवास' के तहत लाभान्वित मछुआरों तथा जारी की गई निधि का राज्यवार विवरण</u>

जारी की गई राशि(रुपए लाखों में)

क्र.सं		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		पांच साल में कुल	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत आवासों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत आवासों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत आवासों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत आवासों की संख्या	जारी राशि	स्वीकृत आवासों की संख्या	जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश	-	-	1300	487.50	-	-	-	-	1340	964.80	2640	1,452.30
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	92	52.00	-	-	48	50.544	-	-	140	102.54
3	असम	-	-	-	-	75	81.20	50	52.65	200	241.02	325	374.87
4	बिहार	610	152.65	-	-	-	-	-	-	1000	360.00	1610	512.65
5	छत्तीसगढ़	175	65.58	400	150.00	-	-	-	-	200	63.36	775	278.94
6	गुजरात	3	1.125	100	36.37	100	60.00	-	-	-	-	203	97.50
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	133	49.88	-	-	-	-	-	-	133	49.88
8	जम्मू और कश्मीर	-	-	133	49.88	-	-	200	210.6	234	234.00	567	494.48
9	झारखंड	484	181.79	1000	375.00	417	250.2	-	-	1000	720.00	2901	1,526.99
10	केरल	1300	325.00	-	-	167	100.20	-	-	132	95.04	1599	520.24
11	महाराष्ट्र	-	-	-	-	65	39.00	-	-	-	-	65	39.00
12	मध्य प्रदेश	250	94.00	195	72.75	167	100.00	-	-	-	-	612	266.75
13	मणिपुर	122	70.15	-	-	-	-	34	31.82	-	-	156	101.97
14	मिजोरम	250	101.72	200	121.00	200	120.50	43	45.28	50	58.50	743	447.00
15	नागालैंड	270	160.00	270	161.00	-	-	-	-	-	-	540	321.00
16	राजस्थान	55	8.98	-	-	20	24.00	-	-	-	-	75	32.98
17	तेलंगना	786	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	786	275.00
18	त्रिपुरा	115	43.13	250	139.54	-	-	140	117.6	1434	1721.76	1939	2,022.03
19	उत्तर प्रदेश	324	120.00	327	122.63	666	399.60	313		600	431.90	2230	1,074.13
20	उत्तराखंड	50	19.35	-	-	-	-	-	-	-	-	50	19.35
21	पश्चिम बंगाल	-	-	309	115.69	-	-	122	79.056	300	185.40	731	380.15
22	अं और नि द्वीप समूह	-	5.00	100	74.00	-	-	-	-	-	-	100	79.00
	कुल	**4794**	**1,623.47**	**4809**	**2,007.24**	**1877**	**1,174.70**	**950**	**587.55**	**6490**	**5,075.78**	**18920**	**10,468.74**

****